

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची  
सी0एम0पी0 संख्या-135/2019

राम ईश्वर सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

शशिधर मंडल, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद

..... विरोधी पार्टी

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 पटेल

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता।

विरोधी पक्ष के लिए : श्री एम0पी0 सिन्हा, अधिवक्ता।

**02/दिनांक:12वीं अप्रैल, 2019**

त्रुटि संख्या-3 को अस्थायी रूप से नजरअंदाज किया जाता है। कार्यालय द्वारा बताये गये बाकी त्रुटियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर हटा दिया जाएगा, विफल होने पर, इस याचिका को स्वतः खारिज कर दिया गया माना जाएगा।

(डी0एन0 पटेल, न्याया0)